

न्यायालय-श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कवर्धा

--विधि आदेश--

क्रं.-क्यू/मु.न्या.मजि./2024

कबीरधाम दिनांक-21.06.2024

मैं श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम(कवर्धा) माह-जुलाई 2024 के अवकाश दिवसों में रिमाण्ड कार्य के संपादन हेतु निम्नानुसार आदेश पारित करती हूँ:-

1. माह-जुलाई 2024 के 01 तारीख से 10 तारीख तक जो भी अवकाश रहेगा उसमें श्री पल्लव रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम(कवर्धा) द्वारा न्यायिक रिमाण्ड के कार्य का संपादन किया जायेगा।

2. माह-जुलाई 2024 के 11 तारीख से 20 तारीख तक जो भी अवकाश रहेगा उसमें कु. पूजा मण्डावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम(कवर्धा) द्वारा न्यायिक रिमाण्ड के कार्य का संपादन किया जायेगा।

3. माह-जुलाई 2024 के 21 तारीख से अंतिम तिथि तक जो भी अवकाश रहेगा उसमें श्री सुबोध मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कबीरधाम(कवर्धा) द्वारा न्यायिक रिमाण्ड के कार्य का संपादन किया जायेगा।

4. पण्डरिया स्थित न्यायालय में पदस्थ कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पण्डरिया, जिला-कबीरधाम द्वारा प्रत्येक अवकाश दिवस में पण्डरिया न्यायालय हेतु न्यायिक रिमाण्ड के कार्य का संपादन किया जायेगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पण्डरिया के अवकाश दिवस में रिमाण्ड हेतु उपस्थित न रहने पर जिला मुख्यालय में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, पण्डरिया से संबंधित रिमाण्ड कार्य का संपादन किया जायेगा

5. जिला मुख्यालय होने के कारण कवर्धा में प्रत्येक परिस्थिति में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक न्यायिक कार्य के संपादन हेतु अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे।

6. रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के अवकाश पर जाने की स्थिति में, कार्य विभाजन आदेश के अनुसार कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड कार्य का संपादन किया जायेगा।

7. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से परिवर्तित किये जा सकते हैं, जिसके लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कवर्धा को लिखित या मौखिक सूचना, तिथि के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त रिमाण्ड कार्य हेतु उपस्थित रहेंगे।

दिनांक-21.06.2024

स्थान-कबीरधाम(कवर्धा)

sd/—
(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कबीरधाम (छ.ग.)